प्रा०सं० 371/25 17.10.25

प्रपत्र-8

"खाता दुरुस्ती आवेदन-पत्र"
(राज. भू. राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 136)

सेवामें,
श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,
माण्डल

विषयः- राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के संबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम लांगरो का खेड़ा की जमाबन्दी संवत 2076 से 79 के खाता संख्या 67 में मेरा नाम सरवणसिंह पुत्र मनोहर सिंह दर्ज है जबकि मेरा सही नाम श्रवण सिंह पुत्र मनोहर सिंह है

अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थी
Shravan Singh

दिनांकः-

(...............)

रिपोर्ट-पटवारी एवं भू.अ.निरीक्षक

महोदयजी,

निवेदन है कि ग्राम लांगरो का खेड़ा के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत 2076 से 79 के खाता संख्या 67 में प्रार्थी का नाम सरवणसिंह पुत्र मनोहरसिंह दर्ज है। जबकि मुताबिक संलग्न आधार कार्ड व जानकारी के अनुसार खातेदार का सही नाम श्रवणसिंह पुत्र मनोहरसिंह है। जो संशोधित किया जाना उचित है।

अतः रिपोर्ट श्रीमान की सेवा में पेश है।

04.10.25

भू०अ०नि० माण्डल 04.10.25

पटवारी धुंवाला

रिपोर्ट उप तहसीलदार - बागोर

प्रार्थी द्वारा रा०भू०राज० अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजस्व रिकॉर्ड में स्वयं का/~~पिता~~ नाम दुरुस्त करवाने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट पटवारी धुंवाला व भू०अ०नि० माण्डल एवं प्रार्थी द्वारा संलग्न दस्तावेज के आधार पर ग्राम लांगरो का खेड़ा की जमाबन्दी सम्वत 2076 से 2079 की खाता संख्या 67 में प्रार्थी का नाम सरवणसिंह के बजाय श्रवण सिंह किये जाने हेतु अभिशंषा की जाती है।

उप तहसीलदार - बागोर
ग्रामीण सेवा शिविर (धुंवाला)
04/10/25

आदेश

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार ~~माण्डल~~ ग्राम लांगरो का खेड़ा जमाबन्दी सम्वत 2076-2079 खाता संख्या 67 में दर्ज प्रार्थी का नाम सरवण सिंह के स्थान पर श्रवण सिंह संशोधन के आदेश दिये जाते हैं।

2025/469.

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा